102

संख्या : 2829 / 1–10–2013–12(34) / 11टी.सी. 1

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 11 नवम्बर, 2013

विषयः जनपद गोरखपुर में वर्ष 2012–13 में बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुर्नस्थापन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–464 / आपदा–2013–14, दिनांक 27.07.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में वर्ष 2012–13 में बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुर्नस्थापन हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की 33 सड़कों / कार्यों / परियोजनाओं की मरम्मत हेतु जिसकी कुल लागत रू0 8,24,73,400 / – (रू0 आठ करोड़ चौबीस लाख तिहत्तर हजार चार सौ मात्र) आंकलित / प्राक्कलित होती है। उक्त परियोजनाओं की मरम्मत आदि हेतु मांगी गई / आंकलित कुल धनराशि रू0 8,24,73,400 / – के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **कुल धनराशि रू0 4,12,36,700 / – (रूपये चार करोड़ बारह लाख छत्तीस हजार सात सौ मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना / मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यो के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते है। शासनादेश सं0 2660 / 1–10–2012–रा–10–33 (171) / 2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत / पुर्ननिर्माण / पुर्नस्थापना हेतु

प्रस्तावों/कार्यो में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यो की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0–78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या–32–7/2011–NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1–10–2011–12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र सं0–317/1–11–2013, दिनांक 05.07.2013 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या–32–3/ 2013–NDM-1, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय–समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005– रा0–11, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2/ 1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04 मार्च,

2013 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार सर्मपित कर दिया जाये।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 2829(1)/1–10–2013–12(34)/2011टी.सी. 1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
2– आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
7– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
8– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
9– समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
10– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।